

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

डी०के०तिवारी,
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

प्रशासक, स्वर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर
मुख्य अभियंता, स्वर्णरेखा परियोजना, चांडिल कॉम्प्लेक्स/ईचा-गालुडीह कॉम्प्लेक्स आदित्यपुर,
जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनितरिंग, राँची
मुख्य अभियंता, रुपांकण, समग्र योजना और जल विज्ञान, राँची
मुख्य अभियंता, यांत्रिक, राँची/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित
निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक : 19-03-18

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2700-मुख्य
सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-01- मुख्य सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन,
उप शीर्ष-02-स्वर्णरेखा बाँध परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में बजट मुख्य शीर्ष 2700-मुख्य सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में
दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया
जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2700-मुख्य सिंचाई	01 मुख्य सिंचाई- वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 02-स्वर्णरेखा बाँध परियोजना	13.706

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि - रुपये तेरह लाख सत्तर हजार छः सौ मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2017-2018 के संशोधित बजट उपबंध ₹ 17394.46 लाख (एक सौ तिहत्तर करोड़ चौरानवे लाख छियालीस हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)(रमेश कुमार दुबे)
विशेष सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक - 29/बी टी ई-18/2014-15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
11. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन हार्ड कॉपी में **Access No** तथा **Revoke No/Surrender No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 20 मार्च 2018 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(डी०के०तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :-

296

रॉची, दिनांक :-

19-03

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्डू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/जमशेदपुर/चाईबासा/सरायकेला-खरसौवा/घाटशिला/देवघर/ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(डी०के०तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :-

296

रॉची, दिनांक :-

19-03-18

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज०सं०वि०/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/अपर मुख्य सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार शूबे)
विशेष सचिव

(डी०के०तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2700-मुख्य सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-01-मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक

लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-02-स्वपरिखा बाँध परियोजना

परिशिष्ट I
पत्रांक 296 दिनांक 19-3-2018 का अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2017-2018		विरुद्ध शीर्ष-01- वेतन एवं भत्ते				विरुद्ध शीर्ष-02- देशीय यात्रा व्यय		विरुद्ध शीर्ष-03- प्रशासनिक व्यय					विरुद्ध शीर्ष-04- मोटरगाडियो इंधन एवं मरम्मत		विरुद्ध शीर्ष-07- विधि प्रभार		राशि लाख रुपये में	
क्र० सं०	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल0डी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाडियो इंधन एवं मरम्मत	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	प्रशासक स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परि० आदित्यपुर जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	116.000 4.000	0.000 0.000	0.000 0.000	1.000 0.000	1.000 0.500	0.600 0.100	0.100 0.100	0.000 0.300	1.500 1.000	0.000 0.000	120.200 6.000					
2	मुख्य अभियंता-चाहिल कमलेवस, जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	120.000 100.000	0.000 0.000	0.000 0.000	1.000 0.500	1.500 1.200	0.700 0.650	0.200 0.050	0.300 0.000	2.500 1.400	0.000 0.000	126.200 103.800					
3	मुख्य अभियंता, योजना मोनेटरिंग एवं आयोजन सँची	कुल आवंटन	100.000	0.000	0.000	0.500	1.500	0.650	0.075	0.000	2.400	0.000	105.125					
4	खरकई बांध अंचल, चालियामा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	44.000 0.000	0.000 0.000	1.400 0.000	4.000 0.000	1.000 0.200	0.550 0.000	0.025 0.000	0.000 0.000	1.000 0.200	0.000 0.000	51.975 0.400					
5	बांध एवं गेट रुपांकण अंचल 1, सँची	कुल आवंटन	121.000	0.000	0.100	0.600	0.550	0.150	0.150	0.250	1.200	0.000	52.375					
6	योजना एवं आयोजन अंचल, सँची	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	110.000 0.000	0.000 0.000	0.100 -0.040	0.200 -0.200	0.750 0.000	0.200 -0.049	0.050 0.000	0.000 0.000	1.000 0.500	0.000 0.000	123.800 -0.010					
7	रुपांकण अंचल-आदित्यपुर	कुल आवंटन	110.000	0.000	0.060	0.000	0.750	0.151	0.050	0.000	0.380	0.000	123.790					
8	स्वर्ण रेखा नहर अंचल जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	266.000 30.000	0.000 0.000	0.000 0.000	1.300 0.000	0.900 0.100	0.150 0.000	0.350 0.000	0.000 0.000	0.800 0.000	0.100 0.000	111.800 -0.409					
9	उप निर्देशक क्रय निमाण सामग्री एवं निविदा नियंत्रण	कुल आवंटन	110.000	0.000	0.000	1.300	1.000	0.150	0.350	0.000	0.800	0.000	111.391					
		पूर्व का आवंटन	266.000	0.000	0.000	1.300	1.000	0.150	0.350	0.000	0.800	0.100	269.600					
		अतिरिक्त आवंटन	30.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	30.100					
		कुल आवंटन	296.000	0.000	0.000	1.300	1.000	0.150	0.350	0.000	0.800	0.100	299.700					
		पूर्व का आवंटन	170.000	0.000	0.300	0.800	0.700	0.200	0.150	0.000	1.300	0.100	173.550					
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.140	0.000	0.000	0.000	0.025	0.000	0.000	0.000	0.165					
		कुल आवंटन	170.000	0.000	0.440	0.800	0.700	0.200	0.175	0.000	1.300	0.100	173.715					
		पूर्व का आवंटन	207.000	0.000	0.200	0.200	0.400	0.200	0.225	0.800	1.200	0.000	210.225					
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.025	0.000	0.000	0.000	0.225					
		कुल आवंटन	207.000	0.000	0.200	0.200	0.600	0.200	0.250	0.800	1.200	0.000	210.450					
		पूर्व का आवंटन	220.600	0.000	0.200	0.800	0.600	0.100	0.525	0.100	1.500	0.500	224.925					
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.075	0.000	0.000	0.000	0.075					
		कुल आवंटन	220.600	0.000	0.200	0.800	0.600	0.100	0.600	0.100	1.500	0.500	225.000					

(सज्जद प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)(रमेश कुमार शर्मा)
विशेष सचिव(डी०के०विवासी)
अपर मुख्य सचिव

वित्तीय वर्ष 2017-2018			विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्तें			विरुद्ध शीर्ष-02-देशीय यात्रा व्यय			विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय						विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियों इंधन एवं मरम्मत		विरुद्ध शीर्ष-07-विधि प्रसार		राशि लाख रुपये में	
क्र० सं०	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि	एलोटोसो	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	इंधन एवं मरम्मत	विधि प्रसार	कुल योग	अभिव्यक्ति							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
10	खरकई लिक नहर प्रमंडल मुसाबनी	पूर्व का आवंटन 265.000 अतिरिक्त आवंटन 3.420 कुल आवंटन 268.420	0.000 0.000 0.000	0.230 0.000 0.230	0.600 0.000 0.600	0.500 0.000 0.500	0.050 0.000 0.050	0.525 0.000 0.525	0.400 0.000 0.400	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	267.505 3.420 270.925								
11	मुनवांस पराठो सं०-1 स्वर्ण रेखा परियोजना आदित्यपुर-जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन 217.000 अतिरिक्त आवंटन 0.000 कुल आवंटन 217.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.200 0.200	0.400 0.000 0.400	0.500 0.100 0.600	0.050 0.030 0.080	0.200 0.000 0.200	0.000 0.000 0.000	0.900 0.300 1.200	0.000 0.000 0.100	219.050 0.630 219.680								
12	रूपकण प्रमंडल सं०-3 आदित्यपुर	पूर्व का आवंटन 339.000 अतिरिक्त आवंटन 0.000 कुल आवंटन 339.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.730 0.114 0.844	0.600 0.000 0.600	0.100 0.000 0.100	0.575 0.000 0.575	0.000 0.000 0.000	1.200 0.000 1.200	0.390 0.000 0.490	342.505 0.504 343.009								
13	लघु विरणी प्रमंडल सं०-5 छिना, जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन 405.000 अतिरिक्त आवंटन -30.000 कुल आवंटन 375.000	0.000 0.000 0.000	0.200 -0.200 0.000	1.000 0.220 1.220	0.600 0.000 0.600	0.050 -0.050 0.000	0.750 -0.125 0.625	0.500 0.000 0.500	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	408.300 -30.155 378.145								
14	लघु विरणी प्रमंडल सं०-10 घाटशिला	पूर्व का आवंटन 391.410 अतिरिक्त आवंटन 0.000 कुल आवंटन 391.410	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.250 0.680 0.930	0.600 0.000 0.600	0.100 0.000 0.100	0.800 0.000 0.800	0.400 0.000 0.400	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	393.560 0.680 394.240								
15	सिवाई प्रमंडल-गालूडीह	पूर्व का आवंटन 328.000 अतिरिक्त आवंटन 0.000 कुल आवंटन 328.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.400 0.756 1.156	0.500 0.000 0.500	0.600 0.000 0.600	0.550 0.000 0.550	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	330.250 0.756 331.006								
	अतिरिक्त आवंटन का योग	7.420	0.000	0.000	1.570	1.490	0.031	0.125	0.300	2.380	0.390	13.706								

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विधि-14/2010-39/बजट दि० 04.02.13 के आलाक में विद्युत भद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से विपरीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमाप्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये तेरह लाख सत्तर हजार छः सौ मात्र

(राजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दुहरे)
विशेष सचिव

(डी०के०विवासी)
अपर मुख्य सचिव